समाहरणालय, लातेहार।

(भू–अर्जन शाखा)

पत्रांक – 49 /भू0 अर्जन

प्रेषक,

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
लातेहार।

सेवा में,

सभी अंचलाधिकारी,
लातेहार जिला।

लातेहार, दिनांक – 15.02.2025

विषयः– भू–अर्जन कार्यालय द्वारा अधिग्रहित भूमि के रैयतों का भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं वंशावली निर्गत करने के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि लातेहार जिले में विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिन रैयतो की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसके मुआवजा भुगतान के लिए भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र, वंशावली प्रमाण पत्र के साथ–साथ कई अन्य दस्तावेजों की जरूरत होती है। गत सर्वे खतियान के गैर आवाद खाते की भूमि का हाल सर्वे खतियान में रैयती खाते की भूमि बना दिया गया है। इस तरह के मामले में आप लोगो के द्वारा टाईटल वाद दायर किया जा रहा है। वही आप लोगो के द्वारा अधिग्रहित किये जा रहे भूमि से प्रभावित रैयतों की जो भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, उसमें गत सर्वे का खाता, प्लॉट वह भूमि का किस्म दर्ज नहीं किया जा रहा है।

मनिका अंचल से गत सर्वे व हाल सर्वे का खाता, प्लॉट वह किस्म का मिलान कर भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र भेजा जा रहा है। किन्तु गत सर्वे में जो भूमि गैर आवाद खाते की थी, और हाल सर्वे में रैयती हो गया है, उसकी वैधता की बिना जाँच कर भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। भुगतान हेतु स्पष्ट अनुशंसा या आपके द्वारा टाईटल वाद दायर किया गया है या नहीं इसका स्पष्ट उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं किया जा रहा है।

अतः आप सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त तथ्यों के अनुरूप स्पष्ट अनुशंसा के साथ भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र भू–अर्जन कार्यालय को भेजना सुनश्चित करेंगे। क्योंकि आपके भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र के अधार पर रैयतों को मुआवजा का भुगतान किया जाता है। अगर आपके गलत प्रतिवेदन के आधार पर मुआवजा का भुगतान होता है तो इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

विश्वासभाजन

15.02.25

Digitally signed by ARVIND DEVASHISH TOPPO
Date: 2025.02.17 14:44:19 +05:30
Location: 192.168.48.135

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
लातेहार।